डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/3/2001/वा. क./5 (8).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम 1995 में नियमानुसार संशोधन किया जावे अतः राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्र. 5) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त नियमों में निम्नानुसार और संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उपरोक्त नियमों में :-

नियम - ७४ के बाद निम्नानुसार नियम अंतर स्थापित किये जायेंगे :-

७४-ए जांच चौकी तथा नाकों की स्थापना :-

१. ऐसे किसी स्थान पर जो राज्य सरकार या आयुक्त व्दारा धारा ४५ - ए की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित किया जाये , यान को रोके जाने, रोके रखने या तलाशी लिए जाने के लिए सडक या सार्वजनिक मार्ग पर नाके के निर्माण करके जांच चौकी की स्थमपना की जावेगी।

२. धारा ४५- क की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित माल (जो इसमें इसके पश्चात अधिसूचित माल के नाम से निर्दिष्ट है) का परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता ऐसा बीजक बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें प्रेषक तथा प्रेषति का नाम, प्रेषण का स्थान ,गंतव्य स्थान और माल का वर्णन , मात्रा और मूल्य दर्शाया गया हो अपने साथ रखेगा और वह प्रेषक व्दारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

३. किसी जांच चौकी या नाके के बाहर अधिसूचित माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता प्रारुप - ५९ - ए में एक सत्य और पूर्ण घोषणा जो प्रेषक व्दारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी जांच चौकी अधिकारी के समक्ष - ३ प्रतियों में फाईल करेगा। यदि जांच चौकी अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि घोषणा में दी गयी विशिष्टियां सही है , तो वह घोषणा-पत्र की प्रत्येक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा और इस प्रकार जांच चौकी की मुद्रा लगायेगा तद्पश्चात वह एक प्रति परिवहन कर्ता को वापस करेगा। परंतु यदि प्रेषक और वह प्रेषित दोनों छत्तीसगढ राज्य से बाहर के है तब घोषणा पत्र पर फार्म ५९ - ए - १ में होगा। इसका प्रारुप ४ प्रतियों में जांच चौकी पर १ रुपए के भुगतान पर जारी किया जाएगा। सभी चार प्रतियां जांच चौकी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। प्रारुप की एक प्रति जांच चौकी अधिकारी अपने पास रखेगा और तीन प्रतियां परिवहक को वापस की जावेगी। परिवहक प्रारुप की दो प्रतियां निकास जांच चौकी या परिवहक के छत्तीसगढ से बाहर निकलने के निकास बिन्दु से निकटतम वाणिज्यिक कर अधिकारी को देगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी प्रारुप की एक प्रति प्रवेश जांच चौकी पर भेजेगा।

४. परिवहन कर्ता उक्त अधिकारी व्दारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित तथा दिनांकित आने वाली किसी भी अन्य जांच चौकी पर निरीक्षण तथा जांच के लिए पेश करेगा।

५. जांच चौकी पर रखी गई घोषणा की दो प्रतियों में से एक प्रति ऐसे जांच चौकी पर रखी जाने वाली संरक्षी नस्ती (गार्ड - फाईल) में चिपकाई जाएगी और दूसरी प्रति उस वाणिज्यिक कर अधिकारी को जिसके वृत्त में यथा स्थिती प्रेषक या प्रेषति का कारोबार का स्थान स्थित हो , भेजी जाएगी।

७४-ए-ए

वह प्राधिकारी जिससे घोषणा फार्म जिससे घोषणा फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं , ऐसे फार्मों का उपयोग अभिरक्षा और उनके अभिलेख का रखना तथा तत्प्रासंगिक विषय :-

(१) एक पंजीयत व्यवसाई प्रारुप ५९-ए के खाली फार्म उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस संबंध में आयुक्त व्दारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी से प्राप्त करेगा। घोषणा - पत्र के प्रतिपर्ण व्यवसाई व्दारा पांच वर्ष या ऐसी अन्य अवधि जो आयुक्त व्दारा निर्धारित की जाए, तक रखेगा।

२(ए) उपनियम एक में निर्दिष्ट खाली घोषणा-पत्र पुस्तिका के रुप में प्राप्त होंगे। प्रत्येक पुस्तक में ऐसे ५० प्रारुप चार प्रतियों में होंगे और उन्हें उपनियम (१) में निर्दिष्ट अधिकारी से ५० रुपया प्रति पुस्तक या एक रुपए प्रति प्रारुप प्राप्त किया जा सकेगा।

(बी) उपनियम (१) में निर्दिष्ट किये गये घोषणा-पत्र प्रारुप अभिप्राप्त करने हेतू रजिस्ट्री कृत प्रत्येक व्यापारी समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को ऐसे प्रारुपों की अपनी अध्य पेक्षाओं संबंधी कथन करते हुए प्रारुप ५९-ए-२ में लिखित आवेदन करेगा और अन्य ऐसी विशिष्टियां, कथन तथा जानकारी प्रस्तुत करेगा और ऐसे अन्य दस्तावेज पेश करेगा जिन्हें कि वाणिज्य कर पदाधिकारी आवेदक को पूर्व अवसरों पर जारी किये गये ऐसे अध्यपेक्षा के स्वरुप की वास्तविक्ता के बारे में अपना समाधान करने के योजन से अपेक्षित करें।

(सी) प्रारुप ५९-ए-२ में आवेदन पत्र के साथ इनके लिए खण्ड (ए) के अधीन देय फीस के संबंध में खजाने के प्राप्ति चालान की एक प्रति प्रारुप ३९ में होगी। परन्तु जहां देय फीस किसी एक समय में २००/- रुपये से अधिक न हो, वहां संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय में उसका भुगतान नगदी किया जा सकेगा।

(डी) खण्ड (बी) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी व्यापारी अन्य अध्यपेक्षाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए व्यापारी को घोषणा - पत्र प्रारुप का उनके लिए अभिस्वीकृति किये जाने पर प्रदाय करेगा।

(ई) यदि लिखित में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से वाणिज्यिक कर पदाधिकारी को यह समाधान हो जाय कि आवेदक ने उसे पूर्व में जारी किये गये घोषणा प्रारुपों का वास्तविक रुप से उपयोग किया है या कि आवेदित घोषणा प्रारुपों की अन्य अध्यपेक्षाऐं वास्तविक नहीं है, तो वह आवेदन पत्र रद्द कर देगा।

(एफ) यदि वाणिज्यिक कर पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आवेदक ने वर्ष की किसी तिमाही के लिए, जिसका कि ऐसा आवेदन पत्र दिया गया है छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ (१९९५ का क्रमांक ५) के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम १९५६ (१९५६ का क्रमांक ७४) के अधीन या छत्तीसगढ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम १९७६ (१९७६ का क्रमांक ५२) के अधीन विवरणीय प्रस्तुत करने में चूक की हो या किसी ऐसी कालावधि के संबंध में, जिसके लिए उस पर उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कर निर्धारण किया गया है, तथा कर बकाया है तो वह पदाधिकारी आवेदक के घोषणा प्रारुप को उस समय तक जारी नहीं करेगा जब तक की आवेदक कर का भुगतान न कर दे या संबंधित तिमाही के लिए, विवरणी प्रस्तुत न कर दे या संबंधित कालावधि के लिए बकाया का भुगतान न कर दे।

परन्तु जहां आवेदक को किसी कालावधि के लिए कर की बकाया का भुगतान किश्तों में करने के लिए अनुज्ञात किया जाए वहां वाणिज्यिक कर पदाधिकारी घोषणा प्रारुपों को रोके रखने के स्थान पर उतनी संख्या में और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुये जैसे कि वह अधिरोपित करना उचित समझे, प्रति प्रारुप एक रुपए की फीस प्रभारित करने के पश्चात ऐसे प्रारुप जारी कर सकेगा।

(जी) यदि लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वाणिज्यिक कर पदाधिकारी को यह समाधान हो जाए कि आवेदक को, घोषणा पत्र प्रारुप पुस्तिकाओं की उसके व्दारा आवेदित संख्या अपेक्षित नहीं हो, तो वह उतनी कम संख्या में जारी कर सकेगा जितनी की उसके राय में आवेदक के युक्ति युक्त अद्यपेक्षाओं की पूर्ति कर दे।

(एच) यदि घोषणा पत्र प्रारुपों के लिए भुगतान की गयी फीस जारी किये गये प्रारुपों की संख्या के लिए देय फीस से

अधिक हों, तो शेष रकम व्यापारी के लेखों में भविष्य में जारी किये जाने वाले प्रारूपों के मद्दे समायोजित की जायेगी या उसके द्वारा आवेदित किये जाने पर उसे लौटा दिया जा सकेगा ।

(३) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसे उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रारूप ५९-ए में कोई घोषणा-पत्र जारी किया गया हो प्रारूप ५९-ए (३) में रखे गये रजिस्टर में उक्त प्राधिकारी से प्राप्त ऐसे प्रत्येक घोषणा-पत्र का सही तथा सत्य लेखा रखेगा । यदि उससें कोई प्रारूप गुम हो जाए, नष्ट हो जाए या चोरी चला जाये तो व्यापारी द्वारा उस तथ्य की सूचना उक्त प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी, प्रारूप ५९-ए (३) के रजिस्टर के टिप्पणियों के कालम में समुचित प्रविष्टियां की जायेगी और प्रारूप के गुम हो जाने या चुराये जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए ऐसे अन्य उपाय किये जाएंगे जैसे कि उक्त प्राधिकारी निर्देशित करें ।

(४) जहां व्यापारी द्वारा या तो उनके द्वारा सम्यक रूप से भरा गया और उसके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र का प्रारूप भेजे जाने के पूर्व उसकी अभिरक्षा में रहते हुए गुम हो जाए या उसे यथा स्थिति माल भेजने वाले व्यापारी या विक्रेता व्यापारी को भेज दिये जाने के बाद मार्ग में गुम हो जाये, वहां व्यापारी उप-नियम ३ में विहित कार्यवाही करने के अतिरिक्त उक्त प्राधिकारी को, जिससे कि ऐसा प्रारुप प्राप्त किया गया था, इस प्रकार गुम हुये प्रत्येक प्रारूप के लिए उसके संभाव्य दुरुपयोग के विरुद्ध क्षतिपूरक बंध-पत्र प्रारूप ५९-ए-४ के रूप में, युक्तियुक्त प्रतिभूति देगा ।

(५) व्यवसाय के बंद होने के दिनांक या पंजीयन निरस्ती के लिए आवेदन देने के दिनांक को जैसी भी स्थिति हो किसी भी पंजीयत व्यवसायी के संग्रहण में रखे हुए उपयोग में न लाये गये घोषणा-पत्र जारीकर्त्ता अधिकारी को सात दिन के अंदर लौटा दिये जायेंगे ।

(६) उक्त प्राधिकारी समय-समय पर, उस घोषणा-पत्र फार्म के ब्यौरे जिसके संबंध में उप-नियम (३) के अंतर्गत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

(७) वाणिज्यिक कर आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि कोई विशेष क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्र फार्म ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायें अप्रचलित या अवैध समझे जायेंगे ।

(८) जब किसी विशेष क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्र फार्म को अप्रचलित या अवैध घोषित करने वाले कोई अधिसूचना उप-नियम (७) के अंतर्गत प्रकाशित की जायें तो सभी पंजीयत व्यापारी उस तारीख को या उस तारीख के पहले जिस तारीख से फार्म इस प्रकार अप्रचलित या अवैध घोषित किये जाएं, उस क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के उपयोग में न लाये गये अपने पास के सभी फार्म उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को लौटा देगा और ऐसे नये फार्म प्राप्त करेगा जो अप्रचलित और अवैध घोषित फार्म के बदले रखे गये हों :--

परन्तु किसी व्यापारी को नये फार्म तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक कि वह उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को अपने पास रखे हुए पुराने फार्म का हिसाब न दे दें और अपने पास बचे हुए शेष फार्म, यदि कोई हो तो न लौटा दें ।

(९) वह अधिकारी जिसे पंजीयत व्यवसाइयों को वितरित करने के लिए फार्म दिए गए हों उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और फार्म ५९-ए-५ वाले एक रजिस्टर में उनका हिसाब रखेगा.

७७-(बी):- माल या माल सहित वाहन का अधिग्रहण तथा निरमुक्ति और माल या माल सहित वाहन के विक्रय व्दारा व्ययन की प्रक्रिया -

(१) जहां कोई माल या वाहन सहित माल जांच चौकी अधिकारी व्दारा धारा ४५-ए की उपधारा (७) के अधीन अधिग्रहित किया जाय वहां ऐसे समस्त माल या वाहन सहित माल की एक सूची दो प्रतियों में जिसमें उसके स्वयं के तथा परिवहन के हस्ताक्षर होंगे तैयार करेगा और उनके (माल की) सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त आवश्यक उपाय करेगा सूची की एक प्रति परिवहनकर्ता को दी जाएगी।

(२) धारा ४५-ए की उपधारा (१०) के अधीन सूचना पत्र यथा शक्य प्रारुप -५९-ए-ए में होगी।

(३) ज़हां जांच चौकी अधिकारी व्दारा ४५-ए की उपधारा ९.११ या १४ के अधीन कोई माल या वाहन सहित माल निरमुक्त किया जाय वहां वह जांच चौकी अधिकारी माल के परिवहनकर्ता व्दारा ऐसे व्यय आदि कोई हो जो जांच चौकी अधिकारी व्दारा माल या वाहन सहित माल की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपगत किये गये हो और आंशिक प्रभारों जो निर्दिष्ट किये जाएंगे। को भुगतान किये जाने पर माल या वाहन सहित माल की निरमुक्ति का आदेश देगा और परिवहन कर्ता से उसकी रसीदं अभिप्राप्त करेगा।

(४) वे माल या वाहन सहित माल धारा ४५-ए की उपधारा (१५) के अधीन विक्रय व्दारा व्ययनित किये जाने के लिए अपेक्षित हो छत्तीसगढ लेण्ड रेवेन्यु कोर्ड १९५९ (२० सन् १९५९) व्दारा यह उसके अधीन विक्रय के लिए अधिकथित की गई रीति में व्ययनित किये जायेंगे।

(५) धारा ४५ की उपधारा (१६) के प्रयोजन के लिए प्रेषक या प्रेषिती का प्राधिकरण परिवहनकर्ता व्दारा प्रारुप ५९-ए ए-ए में किया जायेगा।

७७-सी:- यानों का निरीक्षण तथा तलाशी -

(१) धारा ४५-ए की उपधारा (६) के परंतुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच चौकी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई यान अधिनियम के अधीन देय कर के अपवंचन के लिए उपयोग में तो नहीं लाया जा रहा है। परिवहन कर्ता से यान को रोकने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का तत्काल अनुपालन करेगा और यान को उतने समय तक खडा रखेगा जितना कि उक्त अधिकारी व्दारा अपेक्षित किया जाय।

(२) तदुपरि उक्त अधिकारी ऐसे यान में प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा और समस्त माल तथा माल यान से संबंधित समस्त दस्तावेजों को जो ऐसे यान पर ले जाये जा रहे हो निरीक्षण कर सकेगा। ऐसी तलाशी या निरीक्षण करने में उक्त अधिकारी धारा ३ के अधिनस्थ किसी वाणिज्यिक कर निरीक्षक या उक्त अधिकारी के अधिनस्थ किसी अन्य कर्मचारी वृन्द की सहायता ले सकेगा। परिवहनकर्ता माल तथा यान की ऐसी विशिष्टियां जो कि अपेक्षित की जाय तत्काल प्रस्तुत करेगा और तलाशी या निरीक्षण करने में ऐसे अधिकारी को समस्त संभव सहायता देगा।

७७-डी-धारा ४५-ए की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित किन्हीं मालों को परिवहन करने वाले व्यक्ति व्दारा अभिलेखों की रखा जाना तथा विवरणों को प्रस्तुत करना :-

(१) किन्हीं अधिसूचित माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके व्दारा परिवहित किये गये माल के संबंध में सत्य और सही अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शाई जायेंगी अर्थात :-

(एक) छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम ,१९९४ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, के क्रम सहित प्रेषक का पूरा नाम तथा पता

(दो) छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम ,१९९४ के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि कोई हो के क्रम सहित प्रेषिती का पूरा नाम और पता -

(तीन) वह स्थान जहां से माल भेजा गया।

(चार) गंतव्य स्थान (जिला सहित)

(पांच) माल का वर्णन

(छः) मात्रा या भार

(सात) माल का मूल्य

(आठ) प्रेषक का बीजक क्रमांक तथा तारीख

(नौ) उस व्यक्ति का नाम जिसे परिदत्त किया गया

(दस) वाहक का नाम तथा पूरा पता

(ग्यारह) यान का उसके क्रमांक , यदि कोई हो , सहित ब्यौरा

(बारह) यान के चालक का नाम तथा पता

(तेरह) माल के भारसाधक व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम तथा पता और यदि किसी ऐसे अधिकारी व्दारा जो वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद से निम्न का न हो ऐसी अपेक्षा की जाय , ऐसी अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिसकी वह (अधिकारी) उस संव्यवहार के संबंध में जहां तक कि वह ऊपर निर्दिष्ट किये गये माल से संबंधित है अपेक्षा करें।

(२) जहां माल भेजने वाले व्यापारी व्दारा माल स्वयं भेजा गया हो तथा स्वयं माल को भेजने वाले के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को माल दिया गया हो , तो वह व्यक्ति जो माल का परिवहन कर रहा हो उस व्यापारी का जो हवालगी ले रहा हो पूरा नाम तथा पता , छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो , सहित अभिनिश्चित करेगा और इसका अभिलेख रखेगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ४५ की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित किसी माल का परिवहन करता हो , यदि उसे किसी पदाधिकारी व्दारा जो वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद से कम का न हो , ऐसा आदेशित किया जाय , ऐसे पदाधिकारी का फार्म -५९-बी में उसके व्दारा परिवहन किये गये माल के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा ऐसी जानकारी मांगने के समय पदाधिकारी माल परिवहन करने वाले व्यक्ति को ऐसा समय देगा जो सामान्यत: एक सप्ताह से कम का न होगा।

(४) उपर्युक्त लेन देनों से संबंधित समस्त हिसाब , अभिलेख रजिस्टर तथा दस्तावेज ऐसे पदाधिकारी व्दारा , जो कि सहायक वाणिज्यिक कर पदाधिकारी के पद से कम न हो ,या वाणिज्यिक कर अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से वाणिज्यिक कर निरीक्षक व्दारा समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रखे जायेंगे।

(५) उपनियम ४ के प्रयोजनों के लिए नियम ७१ के उपबंध यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

२. प्रारुप ५९ के बाद निम्न प्रारुप अंर्तविष्ट किये जायेंगे :-

प्रारुप ५९-ए
(नियम ७४-ए(३) देखिये)
घोषणा

जारीकर्ता कार्यालय -----------------------------------जारी करने का दिनांक-----------------
व्यवसायी जिसको जारी किये गये, का नाम तथा पंजीयन क्रमांक

अनु क्र० ---जारीकर्ता अधिकारी की मुद्रा छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम ,१९९४ की धारा ४५-ए के अधीन माल छत्तीसगढ राज्य के बाहर भेजने या बाहर से आयात करने बाबत।

१(ए) प्रेषक का पूरा नाम व पूरा पता --
(बी) प्रेषक छत्तीसगढ का व्यवसायी होने की दशा में उसका छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक --

२(ए) प्रेषिती का नाम व पूरा पता --
(बी) प्रेषिती छत्तीसगढ का व्यवसायी होने की दशा में उसका छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक --
(३) उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता जिसे उस दशा में माल परिदत्त किया जाएगा यदि घोषणा पत्र में उसका प्रेषिती स्वयं के रुप मे वर्णित है।

(४) वह स्थान जहां से माल भेजा गया है --

(५) गंतव्य स्थान (जिला सहित)

(७) कुल मात्रा ....

(८) कुल भार ....

(९) कुल मूल्य ....

(१०) प्रेषिती का बीजक क्रमांक व दिनांक ....

(११) (ए) वाहक का नाम तथा पूरा पता ....
(परिवहन कंपनी या यान का स्वामी आदि)
(बी) यान के ब्यौरे तथा उसका क्र० यदि कोई हो ....
(सी) यान के चालक का नाम तथा पता ....
(डी) माल के भारसाधक व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम तथा पता ....

मैं ....घोषित करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण सत्य तथा सही है।

स्थान ....

दिनांक .... माल के प्रेषक के हस्ताक्षर

(जांच चौकी के कार्यालय में पूर्ति के लिए)

जांच चौकी पर यान के आने का समय ....
जांच चौकी पर से यान के प्रस्थान का समय ....
जांच चौकी पर यान को नियम बाह्य रोक रखने का कारण ....

मुद्रा ....

तारीख................................ हस्ताक्षर

पदनाम

प्रारुप ५९-ए-१

नियम ७४-ए-(३) देखिये

घोषणा

जारीकर्ता कार्यालय ....जारी करने का दिनांक ....

व्यक्ति जिसे जारी कियागया, का नाम एवं पूरा पता --
अनुक्रमांक ----------------------------

जारीकर्ता पदाधिकारी की पदमुद्रा

छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ की धारा ४५-ए के अधीन छत्तीसगढ राज्य से गुजरने वाले माल बाबत्

(१) प्रेषक का पूरा नाम व पता --

(२) प्रेषिति का पूरा नाम और पता ---

(३) उस व्यक्ति का पूरा नाम व पता जिसे उस दशा में माल परिदत्त किया जावेगा यदि घोषणा में उसका प्रेषित स्वयं के रुप में वर्णित है --

(४) वह स्थान जहां से भेजा --

(५) गंतव्य स्थान ||जिला सहित|| ---

(६) माल का संक्षिप्त वर्णन ---

(७) कुल मात्रा --

(८) कुल भार --

(९) कुल मूल्य --

(१०) प्रेषक का बीजक क्रमांक व स्थान ---

(११) |ए| वाहक का नाम तथा पूरा पता ---
(परिवहन कंपनी या यान का स्वामी आदि)

|बी| यान के ब्यौरे तथा उसका क्रमांक यदि कोई हो तो ---------------------------------------

|सी| यान के चालक का नाम तथा पता --

|डी| माल के भार साधक व्यक्ति | यदि कोई हो | का नाम तथा पता ---------------------------------

मैं --घोषित करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास अनुसार उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरा वाहन छत्तीसगढ सीमा पर अंतिम जांच चौकी -----------------------------को दिनांक -----------------------------तक या इसके पूर्व समय --------------------------बजे तक पार करेगा।

स्थान --------------------

दिनांक-------------------- माल के प्रेषक के हस्ताक्षर

(जांच चौकी में पूर्ति के लिए)

जांच चौकी पर यान के आने का समय --
जांच चौकी से यान के प्रस्थान का समय --
जांच चौकी पर यान को नियम नियम बाह्य रोकने के कारण--
मुद्रा--------------------
तारीख------------------ हस्ताक्षर

प्रारुप ५९ -ए -२
(नियम -७४ ए ए (बी) देखिए)
घोषणा पत्रों की पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति ,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

महोदय,

मैं/हम -----------------------------------के शहर ,नगर /ग्राम --------------------- तहसील-----------------------जिला में स्थित ---------------------नाम और शैली का कारोबार कर रहा हूं /कर रहे हैं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक ----------------------का धारी हूं /के धारी हैं।

मैं/हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि प्रारुप -५९-ए घोषणा पत्र की खाली पुस्तकें जिनमें प्रत्येक में ५० प्रारुप ४ प्रतियों वाले हैं मुझे /हमें दी जाये ,जिसके लिए मैंने /हमने फीस खजाने में जमा की है और उसकी पुष्टि में/हम रु०---------------के लिए प्रारुप -३९ में खजाना रसीदी चालान क्रमांक ---दिनांक ---------------------प्रस्तुत कर रहा हूं /कर रहे हैं।

(२) मैं/हम घोषणा करता हूं /करते हैं कि मेरा /हमारा उपर उल्लेखित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रवृत्त है और इस दिनांक तक रद्द नहीं किया गया है।

(३) मैं /हम यह और घोषित करता हूं /करते हैं कि मेरे /हमारे विरुध्द किसी भी कालावधि को अधिनियम के अधीन कोई भी कर और / या शास्ति की रकम बकाया नहीं है।

या

मेरे /हमारे विरुध्द अधिनियम के अधीन कर और /या शास्ति की राशि, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं बकाया है :-

	कालावधि	कर/शास्ति की राशि
	--------	--------------
१.	--------	--------------
२.	--------	--------------
३.	--------	--------------
४.	--------	--------------

सत्यधारी/प्रबंधक/कंपनी के सचिव
फर्म के भागीदार के हस्ताक्षर.

--------------------------पुस्तकें, जिसमें क्रमांक ------------------------------------से
--------------------------तक के प्रारुप हैं, प्राप्त हुई।

व्यापारी या उससे प्राधिकृत प्रति निधि के हस्ताक्षर

(जो लागू न हो उसे काट दिया जावे)

प्रारुप - ५९ ए-३
(नियम ७४-ए-ए (३) देखिए)

पंजीयत व्यवसाईयों व्दारा प्रारुप -५९-ए का उपयोग दर्शाने वाली पंजी का प्रारुप

अ०क्र०	प्रारुप -५९-ए का अनुक्रमांक	माल भेजा गया/प्राप्त किया गया	परिवहन का पूरा नाम व पता (परिवहन कंपनी या यान का स्वामी)	ट्रक नंबर	बिल्टी नम्बर	दिनांक	प्रेषक/प्रेषित का नाम व पता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)

स्थान जहां से माल भेजा	माल का गन्तव्य स्थान	माल का वर्णन	पैकजों की संख्या	मात्रा /भार	माल का मूल्य	बीजक क्र० एवं दिनांक	टिप्पणी
(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)	(१५)	(१६)

प्रारुप -५९-ए-४

(नियम -७४-एए (४) देखिए)

क्षतिपूर्ति बॉन्ड

सर्वविदित हो कि मैं --पिता---------------------------- छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अंतर्गत पंजीकृत डीलर हूं। मेरा पंजीयन क्रमांक ----------- दिनांक -------------------------है। हम/मेसर्स ----------------------------एक फर्म / एक-कंपनी के रुप में भारतीय कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत है और हमारा पंजीकृत कार्यालय ---------------------- ------------------------------पर है। (आगे जिसे वचनदाता कहेंगे)हम राज्यपाल छत्तीसगढ के प्रति (जिसे आगे सरकार कहा जायेगा) रु० -----------------रु० शब्दों में ---------------------------- मांग करने पर बिना आपत्ति के चुकाने के लिए मैं स्वयं और अपने उत्तराधिकारीयों , कार्यपालिक व्यक्तियों प्रशासकों एवं विधिक उत्तराधिकारियों तथा अनुसेवकों / हम स्वयं अपने उत्तराधिकारीयों और अनुसेवकों तथा जिन-व्यक्तियों को हमारी संपत्तियों और मामलों पर नियंत्रण है उन्हें इन शर्तों के व्दारा वचनबध्द करते हैं।

आज दिनांक-----------------------दो हजार-----------------------------को हस्ताक्षर किये

छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर नियम १९९५ के नियम -७४ -एए के उपनियम (४) के अनुसार पूर्ण भरा हुआ या खाली घोषणा पत्र व्यवसाई से या विक्रेता को भेजने के दौरान गुम जाने पर व्यवसाई उस अधिकारी के समक्ष जिससे उसने घोषणा पत्र प्राप्त किये थे को क्षतिपूर्ति बॉड भरकर पेश करें।

और जहां पर वचनदाता व्यवसायी हैं और जहां पर वचनदाता ने घोषणा पत्र प्रारुप -५९-ए खो दिया है जिसका क्रमांक -------------------------है जो खाली / भरा हुआ था और जो उसे (प्राधिकारी का नाम व पदनाम) ------------------------------व्दारा जारी किया गया था को नीचे लिखे गये माल के संबंध में जिसे आगे फार्म कहा जावेगा भेजा गया था।

क्रमांक	बिल /इन्वाईस चालान	दिनांक	माल का विवरण	मात्रा	राशि
१	२	३	४	५	६

उपर लिखे गये बॉड या वचन पत्र की शर्ते ऐसी हैं की अगर सरकार को कोई नुकसान फार्म का दुरुपयोग करने से हुआ तो वचनदाता उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में सरकार या उसके व्दारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम और वचनदाता पर बंधनकारक होगा।

वचनदाता सरकार व्दारा मांग करने पर बिना आपत्ति के रुपये -----------------रुपये शब्दों में --------- ---देगा।

और सरकार को नुकसान से बचाने के लिए अन्यथा रुप से उक्त फार्म के दुरुपयोग के परिणामस्वरुप सरकार व्दारा किये गये दायित्वों के पालन से हुए नुकसान की भरपाई करेगा , उसके बाद ऊपर लिखा बॉंड या वचन पत्र अर्थ शून्य और निष्प्रभावी हो जायेगा अन्यथा पूर्ण रुप से प्रभावशील रहेगा। वचनदाता यह वचन देता है कि उक्त राशि को चुकाने के लिए वह नीचे दी गयी अनुसची में उल्लेखित संपत्तियों को बंधक रखने / पर भार निर्मित करने के लिए वह उचित बंधक नामा/ भार पत्रक का निष्पादन करेगा। जब कभी कराधान अधिकारी व्दारा उससे ऐसा करने के लिए कहा जायेगा।

(अनुसूची)

बंधक/भारित संपत्ति का विवरण दीजिए

ये शर्तें इस बात की साक्ष्य है कि वचनदाता कर दायित्व सरकार के किसी कार्य , कार्य चूक या सहनशीलता के कारण पूरा किया गया था। या संपन्न हुआ नहीं माना जावेगा या कुछ अवधि की मंजूरी दिये जाने या सरकार व्दारा उसमें लिप्त होने के कारण भी या वचनदाता जहां वह व्यक्ति , व्यक्ति न होकर फर्म आदि हो, के गठन में परिवर्तन पर भी दायित्व से मुक्ति न मानी जावेगी।

इस दस्तावेज के लिए कोई मुद्रांक शुल्क लगना हो तो सरकार उसका खर्च वहन करने की स्वीकृति देती है वचनदाता ने साक्ष्य रुप में अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं / अपने अधिकृत प्रतिनिधी व्दारा इस दस्तावेज का निष्पादन ऊपर बताये / दिनांक ---------------------- को करवा दिया है।

साक्षीगण हस्ताक्षर

१------------------------- (वचनदाता)

२-------------------------

छत्तीसगढ राज्य के राज्यपाल के व्दारा संविधान के अनुच्छेद -२९९(१) के अनुपालन में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी ओर से अधिकृत निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (नाम एवं पदनाम) व्दारा यह बॉन्ड स्वीकृत किया गया।

साक्षीगण हस्ताक्षर

१-------------------------- अधिकारी का नाम व पदनाम

२--------------------------

--------जो अंश लागू न हो उसे काट दीजिए। ----------

प्रारुप -५९-ए-५

नियम -७४-एए (९) देखिए

प्रारुप -५९-ए जारी करने की पंजी :-

अनुक्रमांक	दिनांक	नाम और पंजीयन क्रमांक	मांगे गये फार्मों की संख्या	जारी किये गये फार्मों की संख्या	जारी किये गये फार्मों के अनुक्रमांक	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७

प्रारुप -५९-एए

नियम-७४-बी (२) देखिये

छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ की धारा ४५-ए (१०) के अधीन सूचना पत्र

प्रति ,

- - (परिवहनकर्ता का नाम)

- - (पता)

- -

चूंकि :-

आप धारा ४५-ए की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित उस माल का परिवहन कर रहे हैं जिसके संबंध में :-

(ए) आपने उक्त धारा की उपधारा (५) व्दारा अपेक्षित किये गये अनुसार घोषणा पत्र फाईल नहीं की है।

या

(बी) आपके व्दारा धारा ४५-ए की उपधारा (४) के अधीन निम्न लिखित माल के संबंध में की गयी घोषणा , यान में पाये गये माल और घोषणा ,यदि प्रस्तुत की गई हो मय सूचीबध्द माल के बारे मे उनके सत्यापन के समय उनके (माल के) प्रकार मात्रा / मूल्य के संबंध में मिथ्या / अशुध्द है। यहां माल की विशिष्टियां तथा देखे गये फर्क की विशिष्टियां दीजिए।

(सी) धारा ४५-ए की उपधारा (५) के अधीन आपके व्दारा फाईल की गयी घोषणा में माल के प्रेषक / प्रेषति को छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अधीन पंजीकृत व्यवसाई के रुप में दर्शाया गया है जबकि मेरे पास उपलब्ध अभिलेख से ऐसे किसी व्यवसाई का अस्तित्व प्रगट नहीं होता।

अतएव आपसे तारीख ------------------------------ को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षा की जाती है कि यह उपधारणा क्यों न की जाये कि आपके व्दारा ऐसे माल क संबंध में कर के अपवंचन को सुकर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था और क्यों न -----------------------रुपये की शास्ति आप पर अधिरोपित की जावें

मुद्रा हस्ताक्षर

तारीख जांच चौकी अधिकारी

जांच चौकी

प्रारुप -५९-ए-ए-ए

(नियम ७४-बी(५) देखिए)

छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ की धारा ४५-ए की उपधारा -१६ के अधीन प्राधिकरण .

प्रति ,

जांच चौकी अधिकारी

जांच चौकी

मैं -------------------------------------(परिवहन कर्ता का नाम) ------------ ---(परिवहन कंपनी का नाम तथा पूरा पता) का एतद व्दारा श्री ------------------------------(प्रेषक / प्रेषिति का नाम) को ,जो आपके व्दारा अधिगृहित किये गये माल का / के स्वामी हैं छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ की धारा -४५-ए की उपधारा ११ से १५ के अधीन कार्यवाहियों में आपके समक्ष उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

तारीख ------------------------- परिवहन कर्ता के हस्ताक्षर

प्रारुप - ५९ - बी

नियम - ७४ - डी (३) देखिए

परिवहित माल के ब्यौरो को दर्शाते हुए विवरण

सेवा में ,

------------------------------- (पदाधिकारी का पदाभिदान)

------------------------------- (पता)

आपका मांग पत्र क्रमांक ----------------------------दिनांक ---------------------- के संदर्भ में मैं ,--------------------------------------मालिक / प्रबंधक / भागीदार / संचालक / परिवहन कंपनी / समिति फर्म / सत्वधारी संस्था जो ----------------------के नाम से ज्ञात है , जिसका यान क्रमांक --है वह जिसका कार्यालय ----------- में स्थित है एतद् व्दारा परिवहित माल के निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूं :-

१. यान का ब्यौरा उसके पंजीयत क्रमांक सहित ---

२. यान के चालक का नाम तथा पता --

३. व्यापारी जिसकी ओर से माल भेजा गया हो , का पूरा नाम व पता ------------------------------------ छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो , के क्रमांक सहित।

४. माल को वस्तुत: भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता -- --यदि वह ऊपर (तीन) में वर्णित व्यापारी के अतिरिक्त व्यक्ति है।

५. व्यापारी , जिसे वस्तुत: माल भेजा गया हो , का पूरा नाम -- ---तथा पता -------------------- छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो के क्रमांक सहित

६. माल की हवालगी लेने वाले व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता -- -----------------------------------

७. माल के प्रभारी व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम तथा पता -- -----------------------------------

८. स्थान (तहसील तथा जिला सहित) जहां से माल भेजा गया ----------------------------------

(९) गंतव्य स्थान (तहसील तथा जिला सहित) --

(१०) माल का विवरण --

(११) माल का वजन ---

(१२) माल का मूल्य --

(१३) भेजने वाले के बीजक का क्रमांक व दिनांक ---

दिनांक ------------------------------------- हस्ताक्षर --------------------

स्थान ------------------------------------ पदाभिदान ------------

मैं एतद व्दारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ वर्णित किया गया है वह मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... पदाभिदान ....

उपरोक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE,COMMERCIAL TAX ,
PLANNING, ECONOMIC ,AND
STATISTICS, AND 20-POINT PROGRAMME
IMPLEMENTATION,DEPARTMENT

NOTIFICATION

Raipur , Dated 1.5.2001.

No.F 10/3/2001/C T /V/ [8]-----------Whereas, the State government considers that the following amendments in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules 1995 should be made

Now therefore, in exercise of the Powers conferred by section 80 of Chhattisgarh Commercial Tax Act .1994 (No. 5 of 1995) , the State Government hereby makes the following further amendments in the said rules namely -

AMENDMENTS

In the said rules

After rule 74, following rules shall be inserted namely :

" 74 - A Establishment of Check Post and barriers -

(1) A check Post shall be set up at a place notified by the State Government or by the Commis sioner under subsection (1) of section 45 - A by erecting a barrier across the road or thorough fare to enable vehicles being intercepted, detained or searched.

(2) Every transporter transporting goods notified under sub-section (4) of section -45-A (hereinaf ter referred to as the notified goods) shall carry with him an invoice , bill or challan or any other document indicating the name of the consignor and consignee, the place of despatch, the destination and the description. Quantity and value of the goods and shall be signed by the consignor.

(3) Every transporter transporting the notified goods beyond a check post or barrier, shall file in triplicate before the check post officer a true and complete declaration in Form 59- A duly signed and verified by the consignor . If the Check Post Officer is satisfied that the particulars furnished in the declaration are correct ,he shall sign every copy of the declaration and put the date, and mark it with the seal of the check post . He shall then return one copy to the transporter . Provided that if the consignor and consignee are both from states other than Chhattisgarh the declaration will be in form 59-A -1. The form in Quadruplicate will be issued from check post on payment of Rupee 1 . All the four copies will be presented to the check post officer . One copy of the form will be retained by the check post officer and three copies of the form will be returned to the transporter. The Transporter will deliver two copies of the form to the exit check post or commercial tax officer nearest to the exit point of transport from chhattisgrh . The receiving officer shall send one copy of the form to the entry check post.

(4) The transporter shall produce the declaration duly signed and dated by the said officer for inspection and checking at any other check post which may fall on the route.

(5) Of the two copies of the declarations retained at the check post ,one shall be pasted in the guard file to be kept at such check post and the other forwarded to the Comercial Tax Officer in whose circle the place of business of the consignor or the consignee, as the case may be, is situated.

Rule 74-A A

The Authority from which Declaration Forms may be obtained,: use, custody and maintenance of records of such forms and matters incidental thereto :-

(1) A registered dealer, shall obtain ,from the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer as may be authorised by the Commissioner in this behalf, blank declaration in Form 59-A . The counterfoil of the declaration forms shall be maintained by the dealer , for a period of five years or such other period as may be specified by the Commissioner .

(2) (a) The blank declaration forms referred to in sub-rule (1) shall be available in book form, each book containing 50 of such forms in quadruplicate and may be obtained from the authority mentioned in sub-rule (1) on payment of a fee of Rupees Fifty per book or Rupee one per form

(b) For obtaining the declaration forms referred to in sub-rule (1), every registered dealer shall apply in writing in Form 59-A-2 to the appropriate Commercial Tax Officer stating his require ment of such forms and shall furnish such other particulars, statements and information and produce such other documents as the Commercial Tax Officer may require for the purpose of satisfying himself about his bonafide use of such forms issued to the applicant on previous occasions and the bonafide nature of his requirement of such forms on the present occasion.

(c) The application in Form 59-A-2 shall be accompanied by a copy of the treasury receipted challan in Form 39 in respect of the fee payable therefor under clause (a) :
Provided that where the fee payable does not exceed Rupees Two Hundered at any one time, the payment may be made in cash in the office of the appropriate Commercial Tax Officer .

(d) On receipt of the application under clause (b) the Commercial Tax Officer shall, with due regard to the requirements of the dealer supply the declaration forms to the dealer on furnishing an acknowledgment thereof;

(e) If for reasons to be recorded in writing the commercial tax officer is not satisfied that the applicant has made bona fide use of the declaration forms previously issued to him or that the requirements of the declaration forms applied for are not bona fide , he shall reject the applica n;

(f) If the Commercial Tax Officer is satisfied that the applicant at the time of making application has defaulted in furnishing the return under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (no.5of 1995) or under the Central sales Tax Act , 1956[Act No. 74 of 1956] or under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam ,1976 [No. 52 of 1976] for any quarter of the year during which such application is made or is in arrears of tax under the Acts in respect of any period for which he has been assessed to tax ,he may withhold the issue of the declaration forms to the applicant till such time as the applicant pays the tax and furnishes the

return for the relevant quarter or pays the arrears for the relevant period.

Provided that where the applicant has been permitted to pay the arrears of tax for any period in instalments, the Commercial Tax Officer may instead of withholding the declaration forms issue to him such forms in such numbers and subject to such conditions and restrictions as he may deem fit to impose after charging a fee of Rupee one per form;

(g) If for reasons to be recorded in writing the Commercial Tax Officer is not satisfied that the applicant requires the books of declaration forms in such numbers as he applied for, he may issue such forms in such lesser number as, in his opinion, would satisfy the reasonable require ments of the applicant.

(h) If the fee paid for the declaration forms is more than the fee payable for the number of forms issued, the balance shall be credited to the account of the dealer to be adjusted against any future issue or may be refunded to him on making an application by him.

(3) Every such registered dealer to whom any declaration in form 59 -A is issued by the said authority shall maintain in a register in form 59-A-3 a true and correct account of every such form received from the said authority. If any such form is lost, destroyed or stolen, the dealer shall report the fact to the said authority immediately, shall make appropriate entries in the remarks column of the register in form 59-A-3 and take such other steps to issue public notice of the loss, destruction or theft as the said authority may direct.

(4) Where a declaration form either blank or duly completed and signed by the dealer, is lost while it is in his custody before despatch or lost in transit whereafter it has been despatched to the dealer despatching the goods to the dealer as the case may be, the dealer shall, besides taking action prescribed under sub-rule (3) furnish to the said authority, from whom the said forms were obtained, a reasonable security by way of an indemnity bond in form 59-A -4 separately for each form so lost, against any possible misuse of the said form.

(5) Any unused declaration forms ramaining in stock with a regstered dealer on the date of closure of business or on the date of making an applicatin for cancellation of his registration certificate as the case may be, shall be surrendered to the issuing authority by such dealer within seven days of such date.

(6) The said authority shall, from time to time, publish in the official Gazette the particulars of the declaration form in respect of which a report is received under sub-rule (3)

(7) The Commercial tax commissioner may, by notification, declare that declaration forms of a particular series, design or colour shall be deemed as obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification.

(8) When a notification declaring a form of a particular series, design or colour obsolete

and invalid is published under sub-rule (7) ,all registered dealers shall, on or before the date with effect from which the forms are so declared obsolete and invalid surrender to the appropri ate Commercial Tax Officer all unused forms of that series, design or colour which may be in their possession and obtain in exchange such new forms as may be substituted for the forms declared obsolete and invalid ;

Provided that new forms shall not be issued to a dealer until he has rendered account of the old forms lying with him and returned the balance, if any, in his hand to the appropriate Commercial Tax Officer.

(9) The officer to whom the declaration forms are supplied for distribution to the registered dealers, shall keep them in safe custody and maintain a proper account thereof in a register in Form 59-A-5

74-B, Procedure for seizure and release of goods or the vehicle alongwith the goods and disposal of goods or the vehicle alongwith the goods by sale.-

(1) Where any goods or the vehicle alongwith the goods are seized by the Check Post Officer under sub-section(7) of section 45-A ,he shall prepare a list in duplicate of all such goods or the vehicle alongwith the goods bearing his own signature and signature of the transporter and shall take all the measures necessary for their safe custody . One copy of the list shall be given to the transporter.

(2) The notice under sub-section (10) of section 45-A shall, as far as may be, be in form 59-AA.

(3) Where any goods or the vehicle alongwith the goods are released by the Check post officer under sub-section (9) ,(11) or (14) of section 45-A ,he shall, on the transporter of the goods paying the expenses, if any, incurred by the check post officer for the safe custody of the goods or the vehicle alongwith the goods and incidental charges(which shall be specified in the order) order the release of goods or the vehicle alongwith the goods and obtain a receipt therefor from the transporter.

(4) The goods or the vehicle alongwith the goods required to be disposed of by sale under sub-section (15) of section 45-A shall be disposed of in the manner laid down by or under CHHATTISGARH Land Revenue code, 1959 (No. 20 of 1959), for sales.

(5) The authorisation of the consignor or consignee for the purpose of sub-section (16) of section 45-A shall be made by the transporter in Form 59-AAA.

74-C. Inspection and search of Vehicles -

(1) Subject to the provisions of the proviso to sub-section (6) of section 45-A, the Check Post Officer may, for ensuring that any vehicle is not being used for evasion of tax payable under the Act, require the transporter to stop the vehicle, and such person shall forthwith comply with such requirement and keep the vehicle stationary for so long as is required by the said officer.

2. The said officer may ,thereupon enter and search such vehicle and inspect all goods and documents which are being carried on such vehicle. concerning the goods or the vehicle .In carrying out such search or inspection, the said officer may take assistance of any Inspector of commercial tax appointed under section 3 or any other staff subordinate to the said officer. The transporter shall forthwith furnish such particulars of goods and vehicle as may be required and shall render all possible assistance to the said officer in making the search or inspection.

74-D. Record to be maintained and particulars to be furnished by the person transporting any goods notified under sub-section(4) of section 45-A . -

(1) Every person transporting any notified goods shall keep and maintain true and correct record in respect of such goods transported by him showing the following particulars, namely :-

(i) Full name and address with number of Registration Certificate under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994, of the consignor.
(ii) Full name and address with number of Registration Certificate under the Chhattisgarh Commercial Tax Act 1994,of the consignee;
(iii) Place from which goods despatched.;
(iv) Destination (including district);
(v) Description of goods;
(vi) Quantity or weight ;
(vii) Value of goods;
(viii) Consignor's invoice No. and date;
(ix) Name of the person to whom delivered;
(x) Name and full address of the carrier;
(xi) Details of the vehicle,if any,with it's no;.
(xii) Name and address of the driver of the vehicle;
(xiii) Name and address of the person (if any) in-charge of the goods;

And shall, if so required by an officer , not below the rank of Inspector of Commercial Tax furnish any such particulars as he may require in respect of any transaction so far as it relates to the goods referred to above.

(2) Where the goods have been despatched by a consigning dealer for sale and are delivered to any person ,other than the consignor him self, the person transporting the goods shall ascertain and keep record of the full name and address with registration certificate number , if any, under the Chhattisgarh Commercial Tax Act,1994, of the dealer taking the delivery or on whose behalf delivery is taken.

(3) Every person who transports any goods notified under sub-section (4) of section 45-A ,shall , if so required by an officer not below the rank of Inspector of Commercial Tax, furnish to such officer partilculars in respect of such goods transported by him in Form 59-B. While calling for such information .the officer shall allow the person transporting the goods. time which shall not ordinarily be less than one week .

(4) All accounts , records, registers, and documents relating to the above transactions shall ,at all reasonable times be open to inspection by an officer not below the rank of Assistant Commercial Tax Officer or Inspector of Commercial Tax with a written permission of the Commercial Tax Officer.

(5) For the purposes of sub-rule (4) the provisions of rule (71) shall, mutatis mutandis ,be appli cable;

2. After form 59,the following forms shall be inserted , namely :-

"FORM 59-A
[See rule 74-A(3)]
Declaration

Office of issue ---------------- Date of issue ----------------
Name of the dealer to whom issued alongwith registration No......................

Sr. No.................... Seal of issuing authority.

Under section 4 5-A of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 in respect of goods being imported into or exported out of Chhattisgarh.

1. (a) Name and complete address of the consignor ------------------------------------
----
(b) If consignor is a dealer of Chhattisgarh, his registration certificate No under the Chhattisgarh Commercial Tax Act ,1994 ---
2. (a) Name and complete address of the consignee ------------------------------------
----
(b) If consignee is a dealer of Chhattisgarh, his Registration Certificate No. under the Chhattisgarh Commercial Tax Act ,1994---
3. Name and complete address of the person to whom goods will be delivered ,if his con signee is described as "self "in the declaration -----------------------------------
4. Place from which goods despatched ---
5. Destination (including district)--
6. Brief description of goods --
7. Total quantity --
8. Total weight ---
9. Total value --
10. consignor's invoice. No. and date ---
11. (a) Name and full address of the carrier [Transport company or owner of the vehicles etc.]

(b) Detail of the vehicle,if any , with its number, -------------------------------------
(c) Name and address of the driver of the vehicle ---------------------------------
(d) Name and address of the person (if any) in charge of the goods .

I, ----------------------------declare that to the best of my knowledge and belief the above statements are true and correct.

Place --------------------
Date --------------------

Signature of the consignor of the goods

(To be completed in the office of the check post)
Time of arrival of the vehicle at the check post -------------------------------------
Time of departure of the vehicle from the check post --------------------------------
Reasons for abnormal detention of the vehicle at the check post ----------------------

Seal
Date ----------------------

Signature --------------------
Designation ------------------

FORM 59-A-1
[See rule 74-A(3)]

Declaration

Office of issue -------------------------- Date of issue ---------------

Name of the person to whom issued with full address ---

Sr. No. Seal of issuing authority
Under section 45-A of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 in respect of goods being transported through Chhattisgarh.

1. Name and complete address of the consignor ---
----
2. Name and complete address of the consignee ---
----
3. Name and complete address of the person to whom goods will be delivered, in case his consignee is described as " self " in the declaration ------ ------------------------------------
4. Place from which goods despatched ---
5. Destination (including district) ---
6. Brief description of goods ---
7. Total Quantity ---
8. Total Weight--
9. Total Value -- --
10. Consignor's invoice No. and date ---
11. (a) Name and full address of the carrier (Transport Company or owner of the vehicles etc.) ---
----
(b) Detail of the vehicle ,if any, with its number ---
(c) Name and address of the driver of the vehicle ---
(d) Name and address of the person (if any) in charge of the goods.

I -----------------------------declare that to the best of my knowledge and belief the above statements are true and correct. I further declare that my vehicle will cross Chhattisgarh border through the last check post At -----------------------on or before ------------------- (dated) by ----------------------hours

Place ----------------------
Date ----------------------

Signature of the consignor of the goods.

(To be completed in the office of the check post)
Time of arrival of the vehicle at the check post ---
Time of departure of the vehicle from the check post---------------------------------------
Reasons for abnormal detention of the vehicle at the check post ------------------------------

Seal --------------------- Signature ------------

Date --------------------- Designation ----------

FORM 59-A-2

[See rule 74-AA (2) (b)]

Application for obtaining books of declaration Forms

To,
The Commercial Tax Officer

Sir,

* I/We -------------------------am/are carrying on business under the name and style of ----- --------------------------------situated at --------------------(city / town / village) ------- Tahsil ---------------------------District and holding Registration Certificate No.-------------

1. * I/ We request that -----------------------------books of declaration Form 59-A containing 50 Forms in quadruplicate be supplied to * me/us , the fee for which * I / we have paid into the treasury and in support of which * I / We enclose a treasury receipted Challan in Form 39 bearing No.--------------Date ----------------------
2. * I / We declare that * my / our Registration certificate mentioned above is in force and has not been cancelled by this date.
3. * I / We further declare that * I / We am / are not in arrears of any tax and / or penalty for any period under the Act.

OR

* I / We are in arrears of tax and / or penalty under the Act, the particulars of which are given below :

	Period	Amount of Tax/ Penalty
1.	------------------------	----------------------------
2.	------------------------	----------------------------
3.	------------------------	----------------------------
4.	------------------------	----------------------------

* Signature of the Proprietor/Manager/
Secreatry of the company/Partner of the
firm.

Received ----------------------------Books Containing form No. Form ----------To ----------------

Signature of the dealer or his authorised representative

* Strike out whichever is not required.

FORM 59-A-3
[See rule 74-AA(3)]

Form of Register to be maintained by a Registered dealer showing use of forms 59-A

Sr. No.	Sr.No. of Form 59-A	Goods sent/ Received	Name & Full address of the carrier(Transport) Company or owner of vehicle	Truck No.	Builty No.
1	2	3	4	5	6

Date	Name & Address of Consignor/consignee	Place from where goods despatched	Destination of goods	Description of goods
7	8	9	10	11

No. of packages	Quantity / weight	Value of goods	Invoice No. & Date	Remarks
12	13	14	15	16

FORM 59-A 4

[See rule 74- A A (4)]

INDEMNITY BOND

Know all men by these presents I -- S / O -----------------------------------registered dealer under the Chhattisgarh Commercial Tax Act , 1994 under the registration No. ----------------------(here in after called the Obligor) is / are held and firmly bound unto Governor of Chhattisgarh (here in after called the Government) in sum of ---------------------Rupees -----------------------------(in words) well and truly to be paid to the Government on demand and without demur for which payment to be well and truly made I bind myself and my heirs, executors , administrators, legal representatives and assigns/ We bind ourselves , our successors and assigns and the persons for the time being having control over our assets and affairs.

Signed this -----------------day of ------------------Two Thousand and ---------- -------------------Whereas sub-rule (4) of Rule 74 - A A of the Chhattisgarh Commercial Tax Rules ,1995 requires that in the event of a blank or a duly completed form of declaration is lost while it is in the custody of the dealer or in transit to the selling dealer, to furnish an indemnity bond to, the authority from whom the said form was obtained.

And whereas the obligor here is such dealer, and whereas the obligor has lost the declaration in * Form 59-A bearing No.-- * which blank / duly completed , and was issued to him by ------------------------(name and designation of the authority) ----------------------------in respect of the goods mentioned below (here in after referred to as the " FORM") :

Sr. No.	No. of Bill / Invoice/ Challan	Date	Description of goods	Quantity	Amount
1	2	3	4	5	6

Now the condition of the above written bond or obligation is such that the obligor shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the authority appointed for the purpose shall be final and binding on the obligor) as a result of the misuse of the form.

Pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs.------------- Rupees ---------------------------------------(in words) and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities incurred by the Government as a result of the misuse of such form. Then the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The obligor further undertakes to mortgage /charge, the properties specified in the schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum whenever called upon to do so by the assessing authority.

SCHEDULE

(Give details of properties mortgaged/ charged)

And these presents also witnesseth that the liability of the obligor hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any forbearance, act or omission of the Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government or by reason of any change in the constitution of the obligor in cases where the obligor is not an individual.

The Govenmnet agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

In witness where of the obligor * has set his hand/*has caused these presents executed by its authorised representatives, on the day, month and year above written.

Signed by the above named obligor
In presence of:

1------------------------ --------------------------

2.---------------------- Obligor's Signature

Accepted for and on behalf of the Governor of Chhattisgarh by name and designation of the Officer duly authorised in pursuance of article 299 (1) of the Constitution, to accept the bond and on behalf of the Governor of Chhattisgarh.

In presence of:

1---------------------- ------------------------

2---------------------- Name and Designation of the Officer

*Strike out which is not applicable

FORM 59 -A-5
[See rule 74-A A (9)]

Register of issue of form 59-A

Sr. No.	Date	Name & Registration No.	No. of forms required	No. of forms issued	Sr. No. of forms issued	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

FORM 59-AA

[See rule 74-B(2)]

Notice under section 45-A (10) of the Chhattisgarh Commercial Tax Act 1994

To,

--------------------(Name of the transporter)

---------------------(Address)

Whereas you are transporting goods notified under sub-section(4) of section 45-A in respect of which,

(a) You have not filed a declaration as required by sub-section (5) of the said section.

Or

(b) The declaration filed by you under sub-section (4) of section 45 -A in respect of the following goods is false / incorrect of their kind / quantity/value at the time of verification, between the goods listed in the vehicle and the goods listed in the declaration if furnished (here give particulars of the goods and particulars of the discrepancy noticed)

Or

(c) In the declaration filed by you under sub-section (5) of section 45-A the consigner / consignee of the goods is shown to be a dealer registered under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 while the records available with me do not show the existence of any such dealer..

Now, therefore , you are called upon to show cause on--------------------why it should not be presumed that an attempt was being made to facilitate the evasion of tax, in respect of such goods and that why a penalty of Rs.----------------------should not be imposed upon you.

Seal   signature check post officer

Dated --------------------   check post -----------------

FORM 59-AAA

[See rule 74-B(5)]

Authorisation under sub-section (16) of section 45-A of the Chhattisgarh Commercial Tax Act 1994

To,

The check post officer

----------------------check post

I ------------------------(name of the transporter) of ----------------(nameof the Trasport company with full address) , hereby authorise Shri -------------------(name of the consignor/consignee) who is/are the owner of the goods seized by you to appear before you in the proceedings under sub-sections (11) to (15) of section 45-A of the Chhattisgarh Com mercial Tax Act 1994

Signature of the Transporter

Date -----------------------

FORM 59-B
[See rule 74-D(3)]
Statement showing the particulars of goods transported

To.

The ----------------------------(designation of the officer)*
------------------ ----------------(address)

with reference to your requistion No.--------------------dated-----------------proprietor/ Manager /Partner/Director of Transport Company /Society /Firm/Proprietary concern known as --------------------------------------owning vehicle No. ----------------------whose office is situated at ----------------------hereby furnish the following particulars of the goods transported.

(i) Details of the vehicle with its registration number...

(ii) Name and address of the driver of the vehicle...

(iii) Full name and address with number of Registration Certificate under the Chhattisgarh Commercial Tax Act 1994 if any, of the dealer on whose behalf the goods are consigned.......................

....

(iv) Full name and address of the person actually consigning the goods if he is a person other than the dealer mentioned in (iii) above...

(v) Full name and address with the number of registration certificate, if any, under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994, of the dealer to whom the goods are actually consigned...............

....

(vi) Full name and address of the person taking delivery of the goods...

....

(vii) Name and address of the person in charge of the goods (if any)...

....

(viii) Place (with tahsil and district) from which goods despatched ....

(ix) Destination (with tahsil and district)..

(x) Description of goods...

(xi) Quantity or weight..

(xii) Value of the goods...

(xiii) Consignor's invoice number and date...

Date ------------------------ Signature--------------

Place ---------------- -------- Designation -----------

I hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Date ----------------------- Signature--------------

Place----------------------- Designation-----------

These amendments shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1.5.2001.

क्रमांक एफ 10/3/2001/वा.क./पांच (9) चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (1995 का क्रमांक 5) के अधीन कर अपवंचन रोकने हेतु यह आवश्यक है :

अतः राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 45-ए की उपधारा (1) में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न अनुसूची में बताये गये स्थानों पर जांच चौकी और नाका स्थापित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	जांच चौकी और नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन	जांच चौकी और नाका की स्थिति
1	2	3
1-	बम्बई कलकत्ता मार्ग पर राजनांदगांव जिले में पाटेकोहरा (रामपुर)	राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक-6 रायपुर नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 40 वे ओर 41वे किलोमीटर के बीच.
2-	जशपुर रांची मार्ग पर जशपुर जिले में लोदाम (शरव)	जशपुर रांची मार्ग पर जशपुर से 27 वे एवं 28 वे किलोमीटर के बीच.
3-	सरगुजा जिले में अंबिकापुर डालटन गंज मार्ग पर रामानुज गंज.	अंबिकापुर डालटन गंज मार्ग पर अंबिकापुर से 110 वे एवं 111 वे किलोमीटर के बीच
4-	महासमुंद जिले में रायपुर संबलपुर मार्ग पर सरायपाली (भगतदेवरी)	रायपुर संबलपुर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक-6) में रायपुर से 123 वे एवं 124 वे किलोमीटर के बीच.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planing, Economic and Statistics and 20-point Programme Implementation Department

NOTIFICATION

No. F10/3/2001/CT/V/(9) Raipur, Dated 1.5.2001

Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, with a view to prevent or check evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial Tax Act 1994 (No.5 of 1995) in certain places in the State of Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45-A of the said Act, the State Government hereby set up check posts and erects barriers at the places specified in the schedule below :

SCHEDULE

S.No.	Name and Description of places of check posts and barriers	Location of check post and barriers
1.	2.	3.
1.	Pate Kohra (Rampur) on Bombay Calcutta Road in Rajnandgaon District.	Between 40th and 41st K.M. from Rajnandgaon on Raipur Nagpur Road, National highway No. 6
2.	Lodam (Shankh) on Jashpur Ranchi Road, in Jashpur District	Between 27th and 28th k.m. from Jashpur on Jashpur Ranchi Road.
3.	Ramanug Ganj on Ambikapur Daltanganj Road in Sarguja District.	Between 110th and 111th k.m. from Ambikapur on Ambikapur Daltanganj Road.
4-	Saraipali (Bhagat Deori) on Raipur Sambalpur Road, in Mahasamund District.	Between 123rd and 124th km. from Raipur on Raipur Sambalpur Road, National highway No. 6

This notification shall come into force with effect from the date of publication in official gazett.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

छत्तीसगढ शासन
वित्त वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा २० सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

अधिसूचना

....

रायपुर, दिनांक 1. 5. 2001

क्रमांक एफ १०/३/२००१ /वा.क. / पाँच (10) छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम २००० की धारा ४५-ए की उपधारा (४) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन निम्न वस्तुओं को उपरोक्त उपधारा के लिए अधिसूचित करता है :-

छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम २००० की अनुसूची एक एवं अनुसूची दो में वर्णित समस्त माल।

२. यह अधिसूचना दिनांक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Government of Chhattisgarh
[Finance, Commercial Tax , Planing, Economic and Statistics and 20-point Programme Implementation Department]

NOTIFICATION

No. F10/3/2001/C T /V/ (10) Raipur,Date 1.5.2001

1. In exercise of the powers conferred by sub-section 45-A of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994(No. 5 of 1995) the state Government hereby notified the following goods for the purposes of the said sub-section,namely ;

All goods included in schedule -I and schedule -II to the Chhattisgarh Commercial Tax Act,1994 .-

2:This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date of Publication in offical Gazett.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.